

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 06/07/2019

वर्ग : 2

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 16/07/2019

विभाग का नाम : सहकारिता

विषय : 2016 से 2018 में प्याज, लहसुन खरीदी में अनियमितता ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1930) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्ड)

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में प्याज खरीदी बिक्री तथा व्यय तथा प्राप्ति के अंतिम आंकड़ों की प्रति दें। यदि 2017 के अंतिम आंकड़े दो वर्ष उपरांत भी तैयार नहीं हुये तो कारण बतावें। (ख) वर्ष 2018 में प्याज और लहसुन की कृषक द्वारा की गई बिक्री पर शासन द्वारा किये गये भुगतान (भावांतर) की राशि बतावें तथा मंडी अनुसार प्याज-लहसुन की मात्रा तथा भुगतान की राशि भी बतावें। (ग) रतलाम मंडी में 2018 में प्याज लहसुन के विक्रय में भावांतर योजना में शामिल कृषक को उपविधि 16 (4) के अंतर्गत जारी किय गये अनुबंध पत्रक, उपविधि 17(4) के अंतर्गत भुगतान पत्रक, अनुज्ञापन हेतु 19 की उपधारा (6) एवं (उपविधि 20(10) के अंतर्गत) घोषणा पत्र तथा प्रदान किये गये अनुज्ञा पत्र (प्रारूप नौ) की प्रतियां उपलब्ध करावें तथा चारों की कृषक एवं व्यापारी के नाम सहित सूची दें। (घ) वर्ष 2016, 2017 तथा 2018 में प्याज लहसुन खरीदी में हजारों करोड़ का क्षुब्धता हुआ है ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी ?

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./भा.भु.यो./वि.स./1930/तारा/2019/4067

भोपाल, दिनांक 25 जून, 2019

प्रति

1. कलेक्टर, जिला - (समस्त जिसमें वर्ष 2018 में प्याज/लहसुन खरीदी में भावांतर/कृषक समृद्धि योजना लागू थी) कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1930 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का अनुरोध है।
2. उप संचालक, उद्यानिकी विभाग, जिला- (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1930 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
3. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - (समस्त) की ओर। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1930 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव/नोडल मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1930 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित संभागीय कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उत्तर की प्रतिलिपि बोर्ड मुख्यालय को न भेजी जावें।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति रतलाम जिला रतलाम की ओर।

अपर संचालक (भा.भु.यो.)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल